





(iv) अन्य												
अन्य												
कुल												

नोट : वे भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनके विदेश में कार्यालय / शाखाएं हैं, उनके उपर्युक्त आंकड़े देशी स्थिति से संबंधित रहेंगे । उनकी विदेशी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित आंकड़े उपर्युक्त इसी फार्मेट में एक अलग शीट पर दर्शाए जाएं।





नोट 1. उपर्युक्त श्रेणी-वार वर्गीकरण मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है ।

2. सभी राशियां लाख रुपयों में दो दशमलव अंकों तक दर्शाई जाएं ।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिछली तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियां **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी** के बोर्ड को भी रिपोर्ट की गई हैं तथा उपर्युक्त भाग 'क' (कॉलम 4 तथा 5) एवं भाग 'ख' तथा 'ग' में शामिल की गई हैं ।

हस्ताक्षर:

नाम तथा पदनाम:

स्थान:

दिनांक: